न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 12/2026

श्री नरेश मील निवासी पणजी का बास तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू पिन कोड 333701 मो.न. 9694146422

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 02.02.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 15.01.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 12/2026 पर दिनांक 15.01.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/155—156 दिनांक 16.01.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने पत्रांक पाठक/2025/155 दिनांक 16.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 2143 दिनांक 31.12.2025 को उपलब्ध करवा दी गई है। भू. अभिलेख शाखा की रिपोर्ट के अनुसार तहसील मण्डावा का सृजन सितम्बर 2021 में हुआ था। वर्ष 2000 से 2015 के मध्य डार्कजोन में कृषि भूमियों में बने हुए कुऐं और टयूबवेलों के सर्वे का रिकार्ड तहसील कार्यालय मण्डावा में उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने पत्रांक पाठक/2025/155 दिनांक 16.01.2026 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक 2143 दिनांक 31.12.2025 को उपलब्ध करवा दी गई है। भू. अभिलेख शाखा की रिपोर्ट के अनुसार तहसील मण्डावा का सृजन सितम्बर 2021 में हुआ था। वर्ष 2000 से 2015 के मध्य डार्कजोन में कृषि भूमियों में बने हुए कुऐं और टयूबवेलों के सर्वे का रिकार्ड तहसील कार्यालय मण्डावा में उपलब्ध नहीं है। चूंकि अपीलार्थी को इस संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 02.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर झुंझुनूं